संख्या-36 /2022/ 790 /002-2-3-2-17TC-A

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवथा (वेतन व भत्ते-के.25, अन्य के.60) एवं 89-संगत राज्यांश-8904-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (वेतन व भत्ते-रा.75, अन्य रा.40) में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-06/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 04 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु उल्लिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था" (वेतन व भत्ते-के.25, अन्य के.60) में प्रावधानित धनराशि रु0 412.13 लाख के सापेक्ष **रु0 103.20 लाख केन्द्रांश** एवं ''89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था'' (वेतन व भत्ते-रा.75, अन्य रा.40) में प्रावधानित धनराशि रु0 1005.81 लाख के सापेक्ष **रु0 250.60 लाख संगत राज्यांश** अर्थात **कुल धनराशि रु0 353.80 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरपन लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(8) उक्ति धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्याय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(11) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	01 वेतन	53,00,000 (रुपये तिरपन लाख मात्र)
2	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	03 मंहगाई भत्ता	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	06 अन्य भत्ते	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
4	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	049	2235021020104	55	5,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

		समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	मकान किराया भत्ता	(रुपये पांच लाख मात्र)
6	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	01 वेतन	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
7	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	03 मंहगाई भत्ता	59,00,000 (रुपये उनसठ लाख मात्र)
8	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	06 अन्य भत्ते	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
9	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
10	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	55 मकान किराया भत्ता	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
		कुल		**3,53,80,000 (रुपये तीन करोड़ तिरपन लाख अस्सी हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2022/ 790 /002-2-3-2-17TC-A, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-36 /2022/ 790 /002-2-3-2-17TC-A

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवथा (वेतन व भत्ते-के.25, अन्य के.60) एवं 89-संगत राज्यांश-8904-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (वेतन व भत्ते-रा.75, अन्य रा.40) में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-06/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 04 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु उल्लिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था" (वेतन व भत्ते-के.25, अन्य के.60) में प्रावधानित धनराशि रु0 412.13 लाख के सापेक्ष **रु0 103.20 लाख केन्द्रांश** एवं ''89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था'' (वेतन व भत्ते-रा.75, अन्य रा.40) में प्रावधानित धनराशि रु0 1005.81 लाख के सापेक्ष **रु0 250.60 लाख संगत राज्यांश** अर्थात **कुल धनराशि रु0 353.80 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरपन लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(8) उक्ति धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्याय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(11) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	01 वेतन	53,00,000 (रुपये तिरपन लाख मात्र)
2	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	03 मंहगाई भत्ता	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	06 अन्य भत्ते	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
4	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	049	2235021020104	55	5,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

		समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	मकान किराया भत्ता	(रुपये पांच लाख मात्र)
6	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	01 वेतन	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
7	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	03 मंहगाई भत्ता	59,00,000 (रुपये उनसठ लाख मात्र)
8	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	06 अन्य भत्ते	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
9	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
10	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	55 मकान किराया भत्ता	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
		कुल		**3,53,80,000 (रुपये तीन करोड़ तिरपन लाख अस्सी हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2022/ 790 /002-2-3-2-17TC-A, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-36 /2022/ 790 /002-2-3-2-17TC-A

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवथा (वेतन व भत्ते-के.25, अन्य के.60) एवं 89-संगत राज्यांश-8904-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (वेतन व भत्ते-रा.75, अन्य रा.40) में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-06/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 04 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु उल्लिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था" (वेतन व भत्ते-के.25, अन्य के.60) में प्रावधानित धनराशि रु0 412.13 लाख के सापेक्ष **रु0 103.20 लाख केन्द्रांश** एवं ''89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था'' (वेतन व भत्ते-रा.75, अन्य रा.40) में प्रावधानित धनराशि रु0 1005.81 लाख के सापेक्ष **रु0 250.60 लाख संगत राज्यांश** अर्थात **कुल धनराशि रु0 353.80 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरपन लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(8) उक्ति धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्याय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(11) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	01 वेतन	53,00,000 (रुपये तिरपन लाख मात्र)
2	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	03 मंहगाई भत्ता	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	06 अन्य भत्ते	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
4	049	2235021020104 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	049	2235021020104	55	5,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

		समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	मकान किराया भत्ता	(रुपये पांच लाख मात्र)
6	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	01 वेतन	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
7	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	03 मंहगाई भत्ता	59,00,000 (रुपये उनसठ लाख मात्र)
8	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	06 अन्य भत्ते	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
9	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
10	049	2235021028904 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	55 मकान किराया भत्ता	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
		कुल		**3,53,80,000 (रुपये तीन करोड़ तिरपन लाख अस्सी हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2022/ 790 /002-2-3-2-17TC-A, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।